Do IT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(7070)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/05486/2019 दिनांक 02.12.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में स्वंयपाठी/पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	3482	श्री रामचन्द्र गुर्जर	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय ह्युसन जिला चिकित्सालय महिलाबाग, जोधपुर	MCA	Jaipur National University, Jaipur(Rajasthan)
2	3352	श्री रिछपाल	कार्यालय उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, सुजानगढ	Msc. IT	Dr. C.V. Raman University, ChhattishGarh
3	2247	श्री राजू लाल जाट	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाडा	BA Part-1	Vardhman Mahaveer Open University Kota, Rajasthan
4	1892	श्री रफीक मोहम्मद	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक नीमकाथाना, सीकर	MCA	Jaipur National University, Jaipur(Rajasthan)
5	659	श्री राजेश कुमार बुरड़क	कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	MA English	Vardhman Mahaveer Open University Kota, Rajasthan

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यूआईडी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. संबधित विभागाध्यक्ष......................... ।
2. संबधित कर्मचारी............................... ।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

विशेषाधिकारी (यूआईडी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,

आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/05451/2019 जयपुर,दिनांक 29.11.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र.सं.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	Batch 2018	श्रीमती पूजा मीना	कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर	LLB-IInd Year	University of Rajasthan, Jaipur
2.	2018 Batch	सुश्री प्रियंका मरमिट	कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर	PGDLL	VMOU, Kota

नोट :– श्रीमती पूजा मीना, सूचना सहायक को LLB-IInd Year (Supple/Due) Exam 2019 दिनांक 19.11.2019, 21.11.2019 एवं 23.11.2019 को होने वाली परीक्षाओं हेतू अनुमती प्रदान की जाती है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

29.11.19

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :–

1. संबधित विभागाध्यक्ष.........................।
2. संबधित कर्मचारी.............................।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

29.11.19

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

Scanned by CamScanner